

उत्तर प्रदेश शासन
 पशुधन अनुभाग-1
 संख्या-10/2017/2950/37-1-2016-02(60)/2001टी0सी0
 लखनऊ: दिनांक 26 अप्रैल, 2017
कार्यालय-आदेश

कार्यालय आदेश संख्या- 994/37-1-2013-2(60)/2001, दिनांक 25-03-2013,
 शासनादेश संख्या- 3419/बारह-प-1-2001-2(60)/2001, दिनांक 05-10-2001, शासनादेश
 संख्या- 1378/37-1-2008-2(60)/2001, दिनांक 06-01-2009, शासनादेश संख्या-
 1733/37-1-2006-8(61)/96, दिनांक 18-04-2006, शासनादेश संख्या- 1846/37-1-2012-
 2(60)/2001टीसी, दिनांक 06-06-2012 द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के
 सम्मुख अंकित स्तम्भ-3 में उल्लिखित तिथि से समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है।
 उक्त अधिकारियों को स्वीकृत समयमान वेतनमान को संशोधित करते हुये स्तम्भ-4 में
 अंकित तिथि से समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की
 जाती है।

क्र सं0	अधिकारी का नाम/ ज्येष्ठता क्रमांक	पूर्व में स्वीकृत समयमान वेतनमान की तिथि	संशोधित समयमान वेतनमान दिये जाने की तिथि
1	2	3	4
1	डा० राजेश कुमार (910)	25-05-1999	10-06-1997
2	डा० प्रकाश वीर (953)	11-07-1997	12-06-1997
3	डा० डबल सिंह (541)	19-03-1996	19-03-1995
4	डा० ओम प्रकाश श्रीवास्तव (1102)	11-07-2005	05-06-2005
5	डा० रमाकान्त गौतम (1363)	30-07-2006	30-07-2007
6	डा० मोहन सिंह (1548)	19-05-2005	29-05-2005

2- उक्त आदेश दिनांक 25-03-2013, 05-10-2001, 06-01-2009, 18-04-2006 तथा
 06-06-2012 इस सीमा तक संशोधित समझे जायें।

डा० सुधीर एम० बोबडे
 प्रमुखसचिव

संख्या-10/2017/2950(1)/37-1-2016, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, ३०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, ३०प्र० लखनऊ।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 3- संयुक्त निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, ३०प्र० लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास) पशुपालन विभाग।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास) पशुपालन विभाग।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जे०पी० त्रियेदी
विशेष सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।